भाग—ए

न्यायालयः सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराडा, जिला सलूम्बर। **पीठासीन अधिकारी : सौम्य कुमार सिंह आर.जे.एस.** **आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या : 25/2013** **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 102/2012** **पुलिस थाना जावरमाईन्स** **निर्णय दिनांक 01.08.2026**	
अभियोजन पक्ष	राजस्थान राज्य
अधिवक्ता अभियोजन	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश परमार
अभियुक्त	**चतरलाल पिता डुंगर उर्फ दुर्गा,** उम्र 35 वर्ष, निवासी पाल सराडा, पीएस सराडा, सलूम्बर।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मेगराज पटेल

भाग—बी

अपराध की दिनांक	10.09.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.09.2012
आरोप—पत्र की दिनांक	30.09.2012
आरोप विरचित करने की दिनांक	10.01.2013
साक्ष्य प्रारंभ/समाप्त करने की दिनांक	31.10.2019 से 28.04.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की दिनांक	18.07.2026
निर्णय की दिनांक	01.08.2026
सजा आदेश की दिनांक, यदि कोई हो तो	01.08.2026

अभियुक्त का विवरण :

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	आरोप धारा	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	अधिरोपित सजा (साधारण कारावास व अर्थदंड)	दौराने विचारण भुगती हुई सजा
1.	चतरलाल	–	10.01.2013	279,337, 338,304ए भादस0	दोषसिद्ध	धारा 304ए के तहत दो वर्ष व 1,000/–रूपये अर्थदण्ड, धारा 338 के तहत एक वर्ष व 1,000/– रूपये अर्थदंड, 337 के तहत 03 माह व 500/– रूपये अर्थदंड एवं 279 के तहत 03 माह व 500/– रूपये अर्थदंड। अदम अदायगी प्रत्येक अर्थदण्ड के लिए एक माह का कारावास।	–

भाग–सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय गवाहान् सूची

(A) अभियोजन साक्षीगण :

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षीगण)
P.W. 1	देवीलाल	फर्द पंचायतनामा लाश पुना मीणा व फर्द सुपुर्दगी की ताईद
P.W. 2	शहनाज	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 3	नानीबाई	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 4	हेमलता	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 5	गोकुल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 6	रामु	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 7	भैरूलाल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 8	धर्मी	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 9	कर्मा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 10	रशीदा बाई	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 11	हुसैन	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 12	भुपेन्द्र	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 13	राकेश कुमार	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 14	राजु	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना

P.W. 15	जायरा बानु	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 16	दीपक कुमार	निरीक्षण घटनास्थल, फर्द जब्ती बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 व फर्द डेमेज व डिटेन बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 की ताईद
P.W. 17	बाबुलाल	निरीक्षण घटनास्थल, फर्द जब्ती बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 व फर्द डेमेज व डिटेन बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 की ताईद
P.W. 18	सुश्री लक्ष्मी	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 19	सुश्री जागृति	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 20	चतरा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 21	भेरा	चश्मदीद शहादत अदा करेगा
P.W. 22	जमशेर	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 23	रोशनलाल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 24	सुश्री सोनिका	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 25	गौतम	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 27	सुश्री गिरीजा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 28	सुश्री काली	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 29	कन्हैयालाल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 30	प्रीति बाला	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना

P.W. 31	शाहीद मोहम्मद	नोटिस 133 एमवी एक्ट के जवाब की ताई व बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 के कागजात पेश करना
P.W. 32	मनीष पटेल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 33	किरण	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 34	जगदीश	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 35	अशोक	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 36	सुश्री पुष्पा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 37	सुश्री सीमा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 38	हुरमा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 39	कन्हैयालाल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 40	महेन्द्र	वाकियाती शहादत
P.W. 41	लीलाधर मालवीय	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर हालात तफ्तीश व चार्ज शीट कता करना
P.W. 42	रामलाल	मजरूहान सुश्री पुष्पा, श्रीमती वाली, श्रीमती पुंजीबाई, श्रीप्रकाश, कन्हैयालाल, भैरूलाल, राजेन्द्र सुश्री नीना से अनुसंधान कर बयान कलमबद्ध करना
P.W. 43	सुरज	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 44	प्रहलादसिंह	फर्द डेमेजशुदा बस आरजे 27 पीए 0845 की सुपुर्दगी की ताईद
P.W. 45	हरिश	फर्द डेमेजशुदा बस आरजे 27 पीए 0845 की सुपुर्दगी की ताईद
P.W. 46	सुमित्रा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना

P.W. 47	मंगलसिंह	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 48	शांतिलाल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 49	सुश्री रामु	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 50	सुश्री कृष्णा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 51	दीपादेवी	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 52	गौतम	वाकियाती शहादत
P.W. 53	पार्वती	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 54	नटवरसिंह	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 55	तुलसी देवी	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 56	वाली	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 57	सुश्री नीना	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 58	पानु	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 59	सुश्री पुष्पा	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 60	पुंजीलाल	वाकियाती शहादत
P.W. 61	शंकर	वाकियाती शहादत
P.W. 62	भैरूलाल	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना
P.W. 63	नरेन्द्र कुमार	प्रकरण का परिवादी
P.W. 64	रमेश	वाकियाती शहादत

P.W. 65	पुंजी बाई	चश्मदीद शहादत अदाकर स्वयं के घटना में चोटे आना

(B) प्रतिरक्षा साक्षीगण, यदि कोई हो तो :

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	—	—

(C) न्यायालय साक्षीगण, यदि कोई हो तो :

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	—	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के प्रदर्शों की सूची

(A) अभियोजन प्रदर्श :

क्र. सं.	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण	संबधित गवाहान्
1.	प्रदर्श पी—1	पंचायतनामा लाश मृतक पुना	पीडब्ल्यू 01 देवीलाल
2.	प्रदर्श पी—2	फर्द सुपुर्दगी लाश बमुकाम मोर्चरी एमबीजीएच उदयपुर मृतक पुना	पीडब्ल्यू 01 देवीलाल
3.	प्रदर्श पी—3	पुलिस बयान श्रीमती शहनाज	पीडब्ल्यू 02 शहनाज
4.	प्रदर्श पी—4	पुलिस बयान श्रीमती नानीबाई	पीडब्ल्यू 03 नानीबाई
5.	प्रदर्श पी—5	चोट प्रतिवेदन गोकुल	पीडब्ल्यू 05 गोकुल
6.	प्रदर्श पी—6	पुलिस बयान श्रीमती धर्मी मीणा	पीडब्ल्यू 08 धर्मी
7.	प्रदर्श पी—7	चोट प्रतिवेदन रसीदा बानो	पीडब्ल्यू 10 रमीदा
8.	प्रदर्श पी—8	पुलिस बयान श्रीमती रशीदा बाई	पीडब्ल्यू 10 रमीदा
9.	प्रदर्श पी—9	चोट प्रतिवेदन हुसैन	पीडब्ल्यू 11 हुसैन
10.	प्रदर्श पी—10	पुलिस बयान हुसैन	पीडब्ल्यू 11 हुसैन
11.	प्रदर्श पी—11	चोट प्रतिवेदन भुपेन्द्र	पीडब्ल्यू 12 भुपेन्द्र

12.	प्रदर्श पी–12	पुलिस बयान भुपेन्द्र	पीडब्ल्यू 12 भुपेन्द्र
13.	प्रदर्श पी–13	चोट प्रतिवेदन राकेश	पीडब्ल्यू 13 राकेश
14.	प्रदर्श पी–14	पुलिस बयान राकेश	पीडब्ल्यू 13 राकेश
15.	प्रदर्श पी–15	चोट प्रतिवेदन राजू	पीडब्ल्यू 14 राजु
16.	प्रदर्श पी–16	पुलिस बयान राजू	पीडब्ल्यू 14 राजु
17	प्रदर्श पी–17	चोट प्रतिवेदन जेहरा बानो	पीडब्ल्यू 15 जायरा
18	प्रदर्श पी–18	पुलिस बयान जायरा बानू	पीडब्ल्यू 15 जायरा
19	प्रदर्श पी–19	अपराध विवरण प्रपत्र व घटनास्थल	पीडब्ल्यू 16 दीपक कुमार, पीडब्ल्यू 17 बाबुलाल एवं पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
20	प्रदर्श पी–20	सम्पति अभिग्रहण प्रपत्र बस नं आरजे 27 पीए 2452	पीडब्ल्यू 16 दीपक कुमार, पीडब्ल्यू 17 बाबुलाल एवं पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
21	प्रदर्श पी–21	फर्द डेमेज बस आरजे 27 पीए 0845	पीडब्ल्यू 16 दीपक कुमार, पीडब्ल्यू 17 बाबुलाल एवं पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
23	प्रदर्श पी–23	चोट प्रतिवेदन लक्ष्मी	पीडब्ल्यू 18 लक्ष्मी
24	प्रदर्श पी–24	चोट प्रतिवेदन जागृति	पीडब्ल्यू 19 जागृति
25	प्रदर्श पी–25	चोट प्रतिवेदन चतरा	पीडब्ल्यू 20 चतरा
26	प्रदर्श पी–26	पुलिस बयान चतरा मीणा	पीडब्ल्यू 20 चतरा
27	प्रदर्श पी–27	पुलिस बयान भैरा	पीडब्ल्यू 21 भैरू
28	प्रदर्श पी–28	चोट प्रतिवेदन जमशेर	पीडब्ल्यू 22 जमशेर
29	प्रदर्श पी–29	पुलिस बयान जमशेर	पीडब्ल्यू 22 जमशेर
30	प्रदर्श पी–30	चोट प्रतिवेदन रोशनलाल	पीडब्ल्यू 23 रोशनलाल

31	प्रदर्श पी—31	चोट प्रतिवेदन सौनिका	पीडब्ल्यू 24 सोनिका
32	प्रदर्श पी—32	चोट प्रतिवेदन गौतम	पीडब्ल्यू 25 गौतम
33	प्रदर्श पी—33	पुलिस बयान गौतम मीणा	पीडब्ल्यू 25 गौतम
34	प्रदर्श पी—34	चोट प्रतिवेदन गिरजा	पीडब्ल्यू 27 गिरजा
35	प्रदर्श पी—35	चोट प्रतिवेदन काली	पीडब्ल्यू 28 काली
36	प्रदर्श पी—36	चोट प्रतिवेदन कन्हैयालाल	पीडब्ल्यू 29 कन्हैयालाल
37	प्रदर्श पी—37	पुलिस बयान कन्हैयालाल	पीडब्ल्यू 29 कन्हैयालाल
38	प्रदर्श पी—38	चोट प्रतिवेदन प्रीति बाला	पीडब्ल्यू 30 प्रीति बाला
39	प्रदर्श पी—39	एक्सरे रिपोर्ट प्रीति बाला	पीडब्ल्यू 30 प्रीति बाला
40	प्रदर्श पी—40	थानाधिकारी जावरमाईन्स की ओर से धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस	पीडब्ल्यू 31 शाहिद मोहम्मद, पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
41	प्रदर्श पी—41	चोट प्रतिवेदन मनीष पटेल	पीडब्ल्यू 32 मनीष पटेल
42	प्रदर्श पी—42	एक्सरे रिपोर्ट मनीष पटेल	पीडब्ल्यू 32 मनीष पटेल
43	प्रदर्श पी—43	पुलिस बयान मनीष पटेल	पीडब्ल्यू 32 मनीष पटेल
44	प्रदर्श पी—44	चोट प्रतिवेदन किरण	पीडब्ल्यू 33 किरण
45	प्रदर्श पी—45	एक्सरे रिपोर्ट किरण	पीडब्ल्यू 33 किरण
46	प्रदर्श पी—46	पुलिस बयान किरण	पीडब्ल्यू 33 किरण
47	प्रदर्श पी—47	चोट प्रतिवेदन जगदीश	पीडब्ल्यू 34 जगदीश
48	प्रदर्श पी—48	एक्सरे रिपोर्ट जगदीश पटेल	पीडब्ल्यू 34 जगदीश
49	प्रदर्श पी—49	चोट प्रतिवेदन अशोक	पीडब्ल्यू 35 अशोक
50	प्रदर्श पी—50	पुलिस बयान अशोक	पीडब्ल्यू 35 अशोक
51	प्रदर्श पी—51	चोट प्रतिवेदन पुष्पा/हीरा	पीडब्ल्यू 36 पुष्पा
52	प्रदर्श पी—52	पुलिस बयान पुष्पा	पीडब्ल्यू 36 पुष्पा
53	प्रदर्श पी—53	चोट प्रतिवेदन सीमा	पीडब्ल्यू 37 सीमा
54	प्रदर्श पी—54	चोट प्रतिवेदन हुरमा	पीडब्ल्यू 38 हुरमा

55	प्रदर्श पी–55	चोट प्रतिवेदन कन्हैयालाल	पीडब्ल्यू 39 कन्हैयालाल
56	प्रदर्श पी–56	पुलिस बयान कन्हैयालाल	पीडब्ल्यू 39 कन्हैयालाल
57	प्रदर्श पी–57	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक छगनलाल	पीडब्ल्यू 40 महेन्द्र
58	प्रदर्श पी–58	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक छगनलाल	पीडब्ल्यू 40 महेन्द्र
59	प्रदर्श पी–59	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका कंकु मीणा	पीडब्ल्यू 61 शंकर
60	प्रदर्श पी–60	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका अंगुडी बाई	पीडब्ल्यू 64 रमेश
61	प्रदर्श पी–61	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका साधना शर्मा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
62	प्रदर्श पी–62	फर्द पंचायतनामा लाश मृतका आयना बाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
63	प्रदर्श पी–63	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक शिवराम	पीडब्ल्यू 60 पूंजीलाल
64	प्रदर्श पी–64	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक हरिश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
65	प्रदर्श पी–65	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक हरिश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
66	प्रदर्श पी–66	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक आयना बाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
67	प्रदर्श पी–67	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक साधना	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
68	प्रदर्श पी–68	मृतका आमना बाई की लाश प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
69	प्रदर्श पी–69	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका कंकू	पीडब्ल्यू 61 शंकर
	प्रदर्श पी–69	फर्द पंचायतनामा लाश मृतक हरीश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
70	प्रदर्श पी–70	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक शिवराम	पीडब्ल्यू 60 पूंजीलाल
71	प्रदर्श पी–71	फर्द सुपुर्दगी लाश बमुकाम मोर्चरी एमबीजीएच उदयपुर मृतका अंगुडी बाई	पीडब्ल्यू 64 रमेश

72	प्रदर्श पी–72	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतका साधना शर्मा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
73	प्रदर्श पी–73	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतका अंगुडी बाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
74	प्रदर्श पी–74	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतक छगनलाल	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
75	प्रदर्श पी–75	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतक हरिश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
	प्रदर्श पी–75	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतक पुना	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
76	प्रदर्श पी–76	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतक कंकू	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
77	प्रदर्श पी–77	पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट मृतक शिवराम	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
78	प्रदर्श पी–78	परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय एवं पीडब्ल्यू 63 नरेन्द्र कुमार
79	प्रदर्श पी–79	चाक एफआईआर	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय एवं पीडब्ल्यू 63 नरेन्द्र कुमार
80	प्रदर्श पी–80	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त चतरलाल	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
81	प्रदर्श पी–81	चोट प्रतिवेदन अब्दुल रहमान	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
82	प्रदर्श पी–82	चोट प्रतिवेदन जीवतराम	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
83	प्रदर्श पी–83	चोट प्रतिवेदन भतीजा जुबान	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
84	प्रदर्श पी–84	चोट प्रतिवेदन पार्वती	पीडब्ल्यू 53 पार्वती

85	प्रदर्श पी—85	चोट प्रतिवेदन लखमा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
86	प्रदर्श पी—86	चोट प्रतिवेदन प्रकाश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
87	प्रदर्श पी—87	चोट प्रतिवेदन रामु बाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
88	प्रदर्श पी—88	चोट प्रतिवेदन कालुसिंह	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
89	प्रदर्श पी—89	चोट प्रतिवेदन शांतिलाल	पीडब्ल्यू 48 शांतिलाल
90	प्रदर्श पी—90	चोट प्रतिवेदन भैरूलाल/अर्जुन जी	पीडब्ल्यू 62 भैरूलाल
91	प्रदर्श पी—91	चोट प्रतिवेदन भैरूलाल/हीरा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
92	प्रदर्श पी—92	चोट प्रतिवेदन नटवर सिंह	पीडब्ल्यू 54 नटवरसिंह
93	प्रदर्श पी—93	चोट प्रतिवेदन कृष्णा	पीडब्ल्यू 50 कृष्णा
94	प्रदर्श पी—94	चोट प्रतिवेदन सोहन	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
95	प्रदर्श पी—95	चोट प्रतिवेदन दीपा भटनागर	पीडब्ल्यू 51 दीपा भटनागर
96	प्रदर्श पी—96	चोट प्रतिवेदन मीरा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
97	प्रदर्श पी—97	चोट प्रतिवेदन सुमित्रा	पीडब्ल्यू 46 सुमित्रा
98	प्रदर्श पी—98	चोट प्रतिवेदन धनु उर्फ धनकी	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
99	प्रदर्श पी—99	चोट प्रतिवेदन युनुस बादशाह	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
100	प्रदर्श पी—100	चोट प्रतिवेदन वाली	पीडब्ल्यू 56 वाली
101	प्रदर्श पी—101	चोट प्रतिवेदन शहनाज	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर

			मालवीय
102	प्रदर्श पी–102	चोट प्रतिवेदन पुष्पा/शिवलाल	पीडब्ल्यू 59 पुष्पा
103	प्रदर्श पी–103	चोट प्रतिवेदन देवीलाल	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
104	प्रदर्श पी–104	चोट प्रतिवेदन सूरज	पीडब्ल्यू 43 सुरज
105	प्रदर्श पी–105	चोट प्रतिवेदन सुनीता	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
106	प्रदर्श पी–106	चोट प्रतिवेदन करमा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
107	प्रदर्श पी–107	चोट प्रतिवेदन रामू	पीडब्ल्यू 49 रामू
108	प्रदर्श पी–108	चोट प्रतिवेदन नैना	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
109	प्रदर्श पी–109	चोट प्रतिवेदन पूंजी बाई	पीडब्ल्यू 65 पूंजी देवी
110	प्रदर्श पी–110	चोट प्रतिवेदन तुलसीदेवी	पीडब्ल्यू 55 तुलसीदेवी
111	प्रदर्श पी–111	चोट प्रतिवेदन धर्मेन्द्र	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
112	प्रदर्श पी–112	चोट प्रतिवेदन नरेन्द्र	पीडब्ल्यू 63 नरेन्द्र कुमार
113	प्रदर्श पी–113	चोट प्रतिवेदन धर्मी	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
114	प्रदर्श पी–114	चोट प्रतिवेदन हेमलता	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
115	प्रदर्श पी–115	चोट प्रतिवेदन पानीबाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
116	प्रदर्श पी–116	चोट प्रतिवेदन सुरेश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
117	प्रदर्श पी–117	चोट प्रतिवेदन मंगलसिंह	पीडब्ल्यू 47 मंगल सिंह
118	प्रदर्श पी–118	चोट प्रतिवेदन राजेन्द्र	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर

			मालवीय
119	प्रदर्श पी–119	चोट प्रतिवेदन पानु	पीडब्ल्यू 58 पानु
120	प्रदर्श पी–120	एक्सरे रिपोर्ट पानु	पीडब्ल्यू 58 पानु
121	प्रदर्श पी–121	एक्सरे रिपोर्ट राजेन्द्र	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
122	प्रदर्श पी–122	एक्सरे रिपोर्ट चतरलाल	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
123	प्रदर्श पी–123	एक्सरे रिपोर्ट नरेन्द्र	पीडब्ल्यू 63 नरेन्द्र कुमार
124	प्रदर्श पी–124	एक्सरे रिपोर्ट धर्मेन्द्र	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
125	प्रदर्श पी–125	एक्सरे रिपोर्ट धनु उर्फ धनकी	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
126	प्रदर्श पी–126	एक्सरे रिपोर्ट वरजु बाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
127	प्रदर्श पी–127	एक्सरे रिपोर्ट धर्मा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
128	प्रदर्श पी–128	एक्सरे रिपोर्ट भैरूलाल	पीडब्ल्यू 62 भैरूलाल
129	प्रदर्श पी–129	एक्सरे रिपोर्ट भैरूलाल/हीरा	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
130	प्रदर्श पी–130	एक्सरे रिपोर्ट हेमलता	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
131	प्रदर्श पी–131	एक्सरे रिपोर्ट नानीबाई	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
132	प्रदर्श पी–132	एक्सरे रिपोर्ट तुलसीदेवी	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
133	प्रदर्श पी–133	एक्सरे रिपोर्ट सुरेश	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय

134	प्रदर्श पी—134	एक्सरे रिपोर्ट जीवनजी	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
135	प्रदर्श पी—135	एक्सरे रिपोर्ट नटवरसिंह	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
136	प्रदर्श पी—136	एक्स—रे ना करवाने बाबत प्रार्थना पत्र	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
137	प्रदर्श पी—137	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
138	प्रदर्श पी—138	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
139	प्रदर्श पी—139	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
140	प्रदर्श पी—140	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
141	प्रदर्श पी—141	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
142	प्रदर्श पी—142	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
143	प्रदर्श पी—143	दुर्घटनाग्रस्त बसों के फोटोग्राफ्स	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
144	प्रदर्श पी—144	बसों की मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	पीडब्ल्यू 41 लीलाधर मालवीय
145	प्रदर्श पी—145	पुलिस बयान सुरज मीणा	पीडब्ल्यू 43 सुरज
146	प्रदर्श पी—146	फर्द सुपुर्दगी बस नं आरजे 27 पीए 0845	पीडब्ल्यू 44प्रहलाद सिंह एवं पीडब्ल्यू 45 हरिश पटेल
147	प्रदर्श पी—147	पुलिस बयान मंगलसिंह	पीडब्ल्यू 47 मंगल सिंह
148	प्रदर्श पी—148	पुलिस बयान शांतिलाल	पीडब्ल्यू 48 शांतिलाल

149	प्रदर्श पी–149	पुलिस बयान रामु मीणा	पीडब्ल्यू 49 रामू
150	प्रदर्श पी–150	पुलिस बयान कृष्णा	पीडब्ल्यू 50 कृष्णा
151	प्रदर्श पी–151	पुलिस बयान गौतमलाल	पीडब्ल्यू 52 गौतम
152	प्रदर्श पी–152	पुलिस बयान पार्वती	पीडब्ल्यू 53 पार्वती
153	प्रदर्श पी–153	पुलिस बयान नटवरसिंह	पीडब्ल्यू 54 नटवरसिंह
154	प्रदर्श पी–154	पुलिस बयान तुलसीदेवी	पीडब्ल्यू 55 तुलसीदेवी
155	प्रदर्श पी–155	पुलिस बयान नीना उर्फ नैना	पीडब्ल्यू 57 नीना
156	प्रदर्श पी–156	पुलिस बयान पुष्पा	पीडब्ल्यू 59 पुष्पा
157	प्रदर्श पी–157	पुलिस बयान भैरूलाल	पीडब्ल्यू 62 भैरूलाल
158	प्रदर्श पी–158	परिवादी नरेन्द्र कुमार के पुलिस बयान	पीडब्ल्यू63 नरेन्द्र कुमार

(B) प्रतिरक्षा प्रदर्श :

क्र.सं.	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजों का विवरण
1	प्रदर्श डी–1	गवाह पीडब्ल्यू 37 सीमा के पुलिस बयान

(C) न्यायालय प्रदर्श :

क्र.सं.	प्रदर्श सं.	विवरण
–	शून्य	–

(D) Material Objects:

क्र.सं.	प्रदर्श सं.	विवरण
–	शून्य	–

:: निर्णय ::

दिनांक–01.08.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना जावरमाईन्स को इस आशय की पेश की कि दिनांक 10.09.2012 को वह उसकी बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 को सलुम्बर से लेकर

उदयपुर जा रहा था कि पलुना मोड पर समय करीब 01.15 पीएम पर पहुंचा की सामने से बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 का चालक चतरा पिता डुंगर उसकी बस को तेजगति लापरवाही पूर्वक चलाकर रोंग साईड में लाया और उसकी बस के टक्कर मार दी। टक्कर भंयकर होने से कुछ सवारियों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा दोनों बसो मे बैठी सवारिया घायल हुई। उसके बाये हाथ, दाये पैर, कमर व छाती में चोटे लगी तथा चतरा के भी चोटे लगी। मौके पर लोग भाग कर आ गये जो घायलो व मृतको को हॉस्पीटल लेकर आये है, जहां उसका ईजाल चल रहा है व मौके पर क्षतिग्रस्त बसे पडी हुई है।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना— जावरमाईन्स द्वारा एफआईआर संख्या 102 / 2012 अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भादस0 में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान प्रकरण में अभियुक्त चतरलाल के विरुद्ध अपराध धारा 279, 337, 338, 304ए भादस0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध 279, 337, 338, 304ए भादस0 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भादस0 का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी के तहत किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया एवं प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

5. बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भादस0 प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

इसके विपरित विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है, किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं की है एवं अधिकांश गवाह पक्षद्रोही है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. तर्कों पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष **विचारणीय बिन्दू** निम्न प्रकार से हैंः —

(क) क्या दिनांक 10.09.2012 को लगभग 01.00 बजे दोपहर के समय सलूम्बर से उदयपुर जाने वाले मार्ग में पलुणा मोड़ पर उदयपुर से आने वाली आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 एवं सलूम्बर से उदयपुर जाने वाली पलक बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए

0845 की आपस में टक्कर कारित हुई?

(ख) क्या उक्त दिनांक व समय पर उदयपुर से सलूम्बर को आने वाली आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 का चालक अभियुक्त चतरलाल था?

(ग) क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक व समय पर आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 को पलुणा मोड़ पर तेज गति, गफलत, उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जाकर व बस को रोंग साईड में ले जाकर पलक बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845 को सामने से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई?

(घ) क्या आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 के चालक अभियुक्त द्वारा पलक बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845 को मारी गयी टक्कर के परिणामस्वरूप कारित दुर्घटना से दोनों बसों की सवारियों को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुईं तथा उनका जीवन संकटापित हुआ?

(ड़) क्या उपरोक्त वर्णित दुर्घटना से आरोप पत्र में वर्णितानुसार आठ सवारियों की उपेक्षापूर्वक मृत्यु कारित हुई?

(च) यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उपयुक्त दण्ड क्या होगा?

9. उक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 65 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है एवं 150 से अधिक दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है।

न्यायालय का विवेचनः—

10. हस्तगत प्रकरण में मुख्यतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त चतरलाल के विरूद्ध जो आरोप लगाया गया है उसका उल्लेख न्यायालय पुनः संक्षेप में करना आवश्यक समझता है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 10.09.2012 को बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 को लापरवाही व तेज गति से चलाकर बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 को टक्कर मारी जिससे अनेक व्यक्ति घायल हुए हैं एवं कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पलक बस जिसकी संख्या आरजे 27 पीए 0845 थी, सलूम्बर जिले से उदयपुर जिले की ओर जा रही थी एवं आशा बस जिसकी संख्या आरजे 27 पीए 2452 (जिसे अभियुक्त द्वारा चलाया जाने का आक्षेप है) उदयपुर जिले से सलूम्बर जिले की ओर आ रही थी एवं समय करीबन 01.00 से 01.30 बजे के बीच पलुणा मोड पर आशा बस द्वारा पलक बस को टक्कर मारी गई।

11. अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का उल्लेख संक्षेप में करने के पश्चात् यह न्यायालय अभियुक्त पर अधिरोपित अपराधों/धाराओं का उल्लेख करना भी आवश्यक समझता है जो कि निम्न प्रकार से है—

धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना— जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक को हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए— जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घ ाेर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा 338 ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। — जो कोई ऐसवे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 304ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना— जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

12. इस प्रकार न्यायालय द्वारा आक्षेप एवं प्रावधानों का उल्लेख करने के पश्चात् पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया एवं जिस पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार से है—

गवाह संख्या **पीडब्ल्यू 4** हेमलता पत्नी प्रेमशंकर जी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह जाहिर किया कि घटना के दिन वह पलक बस में बैठी थी एवं जिस बस का नंबर आरजे 27 बी 0845 था एवं करीबन 01.00 बजे के करीब पलुणा मोड पर उसकी बस पहुंची जहां पर उदयपुर की ओर से तेज रफ्तार से एक बस आई जिसने उसकी बस को टक्कर मार दी एवं जिस बस का नंबर आरजे 27 पीए 2452 था। जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह कथन किया कि बस का नंबर उसने बाद में पता किया था जो कि उसके पापा ने उसे बताया था एवं पलक बस सलूम्बर की तरफ से आ रही थी जिस बस में वह बैठी थी।

गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि घटनास्थल पर विकट मोड है तथा दुर्घटना के बाद वह बेहोश हो गई थी। न्यायालय के मत में उक्त गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष के समर्थन में यह कथन किये हैं कि पलक बस सलूम्बर की ओर से आ रही थी एवं उदयपुर की तरफ से आने वाली बस के द्वारा पलक बस को टक्कर मारी गई थी। उक्त गवाह द्वारा उदयपुर की तरफ से आने वाली बस का नंबर आरजे 27 पीए 2452 वर्णित किया है जो कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 78 एवं चाक एफआईआर प्रदर्श पी 79 से मेल खाता है परंतु उसके द्वारा यह वर्णित किया गया है कि बस का नंबर उसे उसके पिताजी के द्वारा बताया गया जिस कारण उक्त गवाह के द्वारा उक्त बस नंबर स्वयं की जानकारी से बताया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

13. गवाह **पीडब्ल्यू 6** द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि पलुणा मोड पर एक बस ने उसकी बस को टक्कर मारी थी एवं जिरह में कथन किया कि पलक बस चालक की गलती से एक्सीडेंट हुआ था। न्यायालय के मत में उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित नहीं किया है कि वह किस बस में बैठकर जा रही थी एवं ना ही आशा बस के संबंध में उसके द्वारा किसी प्रकार का कथन किया गया है जिस कारण उसका जिरह में किया गया उक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

14. गवाह **पीडब्ल्यू 8** द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किसी प्रकार के सुसंगत कथन नहीं किये। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा की गई जिरह में उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया गया है एवं यह भी इनकार किया गया है कि बस चालक द्वारा बस तेज गति से नहीं चलाई जा रही थी। उपरोक्त गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किये है कि वह किस बस से यात्रा कर रहा था जिस कारण उक्त गवाह द्वारा किये गये कथन सुसंगत नहीं है।

15. गवाह पीडब्ल्यू 16 दीपक कुमार पिता भंवरलाल अभियोजन पक्ष के संबंध में एक महत्वपूर्ण गवाह है। उक्त गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में यह अभिकथित किया गया कि दिनांक 10.09.2012 को पलुणा मोड पर बसों की दुर्घटना हुई थी एंव उसी सिलसिले में पुलिस द्वारा फर्द घटनास्थल उसके सामने बनाया था एवं बस को जब्त किया था व दूसरी बस का डेमेज बनाकर उसके हस्ताक्षर दुर्घटनास्थल पर ही पुलिस ने कराये थे। गवाह द्वारा **प्रदर्श पी19** फर्द घटनास्थल एवं **प्रदर्श पी20** फर्द जब्ती बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 व फर्द डेमेज **प्रदर्श पी21** बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 पर गवाह द्वारा ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। जिरह के दौरान गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया कि प्रदर्श पी19 दिनांक 10.09.2012 को ही बनाया गया था एवं उसी दिन उसके हस्ताक्षर करवाये थे। गवाह द्वारा घटनास्थल पर विकट मोड होना

जाहिर किया गया एवं उसके समक्ष दुर्घटना ना होना जाहिर किया गया। साथ ही उक्त गवाह द्वारा दोनों बसों के नंबर उसकी जानकारी में व याददाश्त में होना जाहिर करते हुए एक बस का नंबर आरजे 27 पीए 0845 तथा दूसरी बस का नंबर आरजे 27 पीए 2452 होना जाहिर किया गया। **इस प्रकार से उक्त गवाह द्वारा जाहिर की गई दिनांक व स्थान एवं बसों के नंबर अभियोजन पक्ष का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। साथ ही उक्त गवाह द्वारा प्रदर्श पी19 फर्द घटनास्थल की भी ताईद की गई है। उक्त गवाह द्वारा अपने जिरह में किसी प्रकार के विरोधाभासी कथन उपरोक्त के संबंध में नहीं किये गये हैं।** जहां तक गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि उसके समक्ष दुर्घटना कारित नहीं हुई थी तो इससे गवाह के उक्त कथन न्यायालय के मत में अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं चूंकि घटना दिनांक 10.09.2012 को समय 01.00 से 01.30 के मध्य कारित होना अभियोजन पक्ष द्वारा जाहिर किया है एवं फर्द घटनास्थल प्रदर्श पी19 11.09.2012 को समय 01.50 पीएम कायम किया गया है। ऐसे में गवाह के घटना के पश्चात् पहुंचना स्पष्ट है किंतु उपरोक्त कथन उसकी निजी जानकारी से ही दिया जाना प्रतीत होता है, जिस पर न्यायालय निर्भर करना न्यायोचित समझता है।

16. गवाह **पीडब्ल्यू 17** भी प्रदर्श 19, 20 व 21 का गवाह है किंतु जिसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण व जिरह में विरोधाभासी कथन किये गये हैं जिस कारण उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

17. **पीडब्ल्यू 18** द्वारा बसों के नंबर पूर्ण रूप से वर्णित नहीं किये गये हैं एवं जिरह के दौरान यह कथन किया है कि बसों के नंबर उसे एपीओ कार्यालय से पता चले हैं। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

18. **पीडब्ल्यू 19** सुश्री जागृति पिता धर्मालाल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं का पलक बस में यात्रा करना जाहिर किया एवं यह भी जाहिर किया गया कि पलुणा मोड पर सामने की ओर से आशा बस आई और उसकी बस को टक्कर मारी। जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह कथन किया गया कि मौके पर बसों के नंबर उसने नहीं देखे थे एवं वह पलक बस में बीच गैलरी में खडी थी। इस प्रकार से उक्त गवाह द्वारा बसों के नंबर के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गई है एवं दुर्घटना किसकी लापरवाही से कारित हुई इस संबंध में किसी प्रकार का कथन नहीं किया है किंतु गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हुए यह जाहिर किया गया है कि पलक बस को सामने की ओर से आशा बस के द्वारा टक्कर मारी गई थी।

19. **पीडब्ल्यू 20** चतरा पिता हरजी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि करीबन 01.30 बजे पलुणा मोड पर सलूम्बर से आ रही बस से उसकी बस की भिंडत हो गयी थी एवं बसों के नंबर वह नहीं जानता है किंतु यह जाहिर किया है कि वह आशा बस में बैठकर उदयपुर से आ रहा था। गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि

घटना किसकी गलती से हुई उसको जानकारी नहीं है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा जिरह के दौरान गवाह द्वारा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी26 में बसों के नंबर आरजे 27 पीए 2452 व आरजे 27 पीए 0845 को लिखाये जाने से इनकार किया एवं दुर्घटना उसके बस चालक की गलती से होने से भी इनकार किया गया है। इस प्रकार न्यायालय के मत में उपरोक्त गवाह की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष को मात्र इस बिंदु पर समर्थन मिलता है कि आशा बस उदयपुर से आ रही थी एवं पलुणा मोड पर ही टक्कर हुई थी।

20. **पीडब्ल्यू 23** रोशनलाल पिता देवचंद द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया कि वह उदयपुर से आशा बस में बैठकर आ रहा था जिस बस के नंबर आरजे 27 पीए 2452 थे जिसका कि पलुणा मोड पर करीब 01.00–01.15 बजे एक्सीडेंट हो गया था। गवाह द्वारा यह महत्वपूर्ण कथन किया गया कि उसका बस चालक बस को बहुत तेज गति से चला रहा था एवं गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि उसे बाद में पता चला उसके बस का चालक चतरलाल मीणा था। जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि यदि चालक चतरलाल न्यायालय में आए तो वह उसे पहचान सकता है। *अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा चतरलाल की पहचान कराये जाने पर एतराज किया गया किंतु न्यायालय द्वारा गवाह की प्रतिपरीक्षा रिजर्व रखी जाकर अभियुक्त चतरलाल को न्यायालय में हाजिर रखने हेतु पाबंद फरमाया गया। गवाह की पुनः साक्ष्य लेखबद्ध की गई किंतु गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया गया।*

इस प्रकार उपरोक्त गवाह की साक्ष्य के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि आशा बस उदयपुर से आ रही थी एवं जिसके नंबर उक्त गवाह द्वारा आरजे 27 पीए 2452 होना अभिकथित किये गये हैं जो कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 78 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 79 व फर्द जब्ती प्रदर्श पी20 से मेल खाते हैं। गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से आशा बस के चालक द्वारा बस को बहुत तेज गति से चलाये जाने का कथन किया है। गवाह द्वारा अभियुक्त की पहचान नहीं की जा सकी है किंतु गवाह के उपरोक्त कथन का किसी प्रकार का खंडन जिरह के दौरान नहीं हुआ है, जिस कारण गवाह के उपरोक्त कथन न्यायालय के समक्ष अखंडित है। न्यायालय यह उल्लेख करना आवश्यक समझता है कि गवाह संख्या पीडब्ल्यू 26 के तौर पर किसी भी व्यक्ति के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये हैं एवं सेहवन से पीडब्ल्यू 25 के पश्चात् गवाह पीडब्ल्यू 27 के बयान लेखबद्ध किये गये हैं।

21. **पीडब्ल्यू 28** काली पिता वालाजी ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि जिस बस में वह बैठी थी वह बस उदयपुर से आ रही थी एवं जो कि तेज गति से चल

रही थी। पलोदडा से आने वाली बस सही साईड से आ रही थी एवं जिस बस में वह बैठकर आ रही थी वह रोंग साईड में चल रही थी और टक्कर हो गयी। जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया कि बस की स्पीड वह नहीं बता सकती एवं दुर्घटनास्थल पर विकट मोड है। इस प्रकार से उक्त गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष के समर्थन में यह कथन किया गया है कि उदयपुर से आने वाली बस, जिससे वह बैठकर आ रही थी, तेज गति से रोंग साईड में आयी एवं पलोदडा से आने वाली बस के टक्कर मार दी। जिरह के दौरान ने गवाह ने मात्र यह कथन किया है कि दुर्घटनास्थल पर विकट मोड था। ऐसे में न्यायालय का यह मत है कि उदयपुर से आने वाली बस के चालक को विकट मोड पर सामान्य परिस्थितियों से अधिक ध्यानपूर्वक व चेतन्यतापूर्वक वाहन को चलाया जाना आवश्यक था किंतु वाहन को तीव्रता से चलाया जाना घोर लापरवाही दर्शाता है उपरोक्त कथन के संबंध में गवाह के जिरह में किसी प्रकार का विरोधाभास प्रकट नहीं होता है।

22. **पीडब्ल्यू 29** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि घटना के समय वह छठी कक्षा में पढ रहा था। उदयपुर की तरफ से पलक बस का चालक बस लेकर आया और उनकी बस से टक्कर हो गयी। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। न्यायालय के मत में उक्त गवाह द्वारा अभियोजन पक्ष के विपरीत कथन अवश्य रूप से किये गये हैं किंतु घटना के समय गवाह छठी कक्षा का छात्र था एवं जिसके बयान घटना के करीबन 12 वर्ष बाद लेखबद्ध किये गये हैं जिस कारण उपरोक्त गवाह के कथन अभियोजन पक्ष के लिए घातक माना जाना न्यायोचित नहीं है। इसी प्रकार सामान आधारों पर गवाह संख्या **पीडब्ल्यू 37** एवं **पीडब्ल्यू 38** द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

23. **पीडब्ल्यू 31** शाहीद मोहम्मद रज्जाक पिता सुल्तान बक्श अभियोजन पक्ष के अनुसार आशा बस वाहन नंबर आरजे 27 पीए 2452 का **वाहन स्वामी** था। उक्त गवाह को पुलिस द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया गया था जो **प्रदर्श पी40** है जिस पर ए से बी गवाह ने स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा जिरह के दौरान गवाह से पूछे जाने पर गवाह ने अभिकथित किया गया है कि पुलिस द्वारा दिये गये नोटिस पर वक्त घटना बस का चालक चतरलाल का होना उसके द्वारा नहीं लिखकर दिया गया था। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि बसों का संचालन उसके अंकल असलम बक्श करते थे एवं ड्राईवर रखने का कार्य भी वही करते थे जिस कारण बस का चालक कौन था वह नहीं बता सकता। इस प्रकार उपरोक्त गवाह हस्तगत प्रकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण गवाह था किंतु जिसके द्वारा अभियोजन पक्ष के

विरूद्ध कथन किये गये हैं परंतु साथ ही गवाह द्वारा बतौर वाहन स्वामी मात्र यह अभिकथित किया गया कि घटना के दिन बस का चालक कौन था उसे नहीं पता किंतु यह अभिकथित नहीं किया गया कि उसकी निजी जानकारी के अनुसार बस का चालक घटना के दिन चतरलाल नहीं था। फलस्वरूप उपरोक्त गवाह की साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संबंध में पूर्ण रूप से घातक माना जाना न्यायोचित नहीं है।

24. गवाह **पीडब्ल्यू 32** द्वारा स्वयं का पलक बस में बैठना जाहिर किया गया किंतु जिरह के दौरान यह कथन किया कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ उसे पता नहीं। *अभियोजन अधिकारी द्वारा बसों के नंबर के संबंध में उक्त गवाह को कन्फर्न्ट कराये जाने की अनुमति चाही गयी जिसकी न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई।* पूछे जाने पर गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि उसके पुलिस बयान **प्रदर्श पी43** में बसों के जो नंबर उल्लेखित किये गये हैं वह सही है। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि धारा 162 सीआरपीसी के तहत गवाह के पुलिस के समक्ष हुए बयानों को उसकी साक्ष्य के समर्थन में पढा जाना न्यायसंगत नहीं है, किंतु चूंकि उक्त गवाह को उसके पूर्व में लेखबद्ध पुलिस बयानों से एपीओ द्वारा कन्फर्न्ट कराया गया है जिस कारण यह तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य है एवं प्रदर्श पी 43 में बसों के जो नंबर उल्लेखित है व अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार से गवाह **पीडब्ल्यू 46** ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह जाहिर नहीं किया है कि आशा बस का चालक कौन था अथवा किस चालक की गलती से घटना हुई, किंतु गवाह द्वारा पलक बस व आशा बस के नंबरों का जो उल्लेख किया गया है वो प्रलेखीय साक्ष्य से मेल खाता है।

25. **पीडब्ल्यू 34** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह जाहिर किया है कि उदयपुर से आशा बस में वह बैठकर आ रहा था एवं सामने सलूम्बर की तरफ से पलक बस आ रही थी एवं आशा बस के नंबर आरजे 27 पीए 2452 था। जिरह के दौरान गवाह द्वारा कथन किया गया कि एक्सीडेंट किस चालक की गलती से हुआ उसे नहीं पता। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आक्षेपों के संबंध में इन तथ्यों की ताईद की है कि आशा बस उदयपुर की ओर से आ रही थी जिसका नंबर आरजे 27 पीए 2452 था एवं पलक बस सलूम्बर की ओर से आ रही थी। जिरह के दौरान उपरोक्त कथनों के संबंध में गवाह द्वारा किसी प्रकार का विरोधाभास प्रकट नहीं किया गया।

26. **पीडब्ल्यू 35** द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं का पलक बस में यात्रा करना जाहिर किया गया है एवं यह जाहिर किया गया है कि दोपहर 01.00 बजे के करीब सामने से आशा बस स्पीड में आई और पलक बस को टक्कर मार दी। अपने मुख्य परीक्षण में गवाह द्वारा दोनों बसों के नंबर पूर्ण रूप से उल्लेखित नहीं किये गये हैं। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे

न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। जिरह के दौरान यह कथन किया कि दोनों बसों के चालकों के संबंध में उसे जानकारी नहीं है एवं दुर्घटना जहां घटित हुई वहां पर विकट मोड था। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य से भी घटना के समय व स्थान की ताईद होती है एवं इस तथ्य की भी ताईद होती है कि पलक बस को आशा बस ने आकर टक्कर मारी थी।

27. **गवाह पीडब्ल्यू 39 कन्हैयालाल पिता हुरजी अभियोजन पक्ष के संबंध में एक महत्वपूर्ण गवाह है।** गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि घटना 2012 की है जिस दिन वह उदयपुर से आशा बस में बैठकर सराडा आ रहा था एवं पलुणा मोड पर करीबन 1 बजे बस की टक्कर हो गयी थी। बसे कैसे चल रही थी इसका उसे नहीं पता। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा की गयी जिरह में उक्त गवाह द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकृति दी गई है कि घटना के समय आशा बस में वह खलासी का काम करता था एवं बस का चालक चतरलाल था। उसकी बस के चालक ने बस को तेज गति से चलाते हुए पलुणा मोड पर पलक बस को रोंग साईड में लाकर टक्कर मार दी। जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह कथन किया गया कि ''*यह कहना गलत है कि घटना के दिन आशा बस को चतरलाल नहीं चला रहा हो*। यह कहना गलत है कि पलक बस रोंग साईड में आकर हमारी बस से टक्करा गयी हो।'' गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया गया है कि कौनसे बस चालक की लापरवाही से टक्कर हुई उसे नहीं पता एवं घटनास्थल पर विकट मोड था। **उपरोक्त गवाह द्वारा अपने संपूर्ण साक्ष्य में बसों के नंबर स्पष्ट नहीं किये हैं किंतु दोनों बसों का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है एवं घटना किसकी गलती से हुई इस संबंध में गवाह की साक्ष्य में विरोधाभास है। तत्पश्चात् भी गवाह द्वारा आशा बस को अभियुक्त चतरलाल द्वारा चलाया जाना स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया है एवं जानकारी होने का आधार यह वर्णित किया गया है कि आशा बस में वह खलासी का काम करता था। गवाह के द्वारा आशा बस को अभियुक्त द्वारा चलाये जाने के अभिकथनों का किसी प्रकार का खंडन जिरह के दौरान भी नहीं हुआ है।** ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य से यह साबित होता है कि आशा बस को घ टना के समय चतरलाल द्वारा ही चलाया जा रहा था एवं उक्त गवाह द्वारा अभियुक्त की बतौर बस चालक की गई पहचान पर निर्भर ना करने का न्यायालय के समक्ष कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं है।

28. **पीडब्ल्यू 41** लीलाधर मालवीय पिता नेमीचंद जी हस्तगत प्रकरण का **अनुसंधान अधिकारी** है। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि दिनांक 10.09. 2012 को वह थानाधिकारी जावरमाईन्स के पद पर तैनात था एवं उस दिन दोपहर में 01. 15 बजे पलुणा मोड पर दो बसों के आपस में एक्सीडेंट होने की सूचना होने पर वह मौके पर पहुचा। एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को उपचार हेतु एम्बुलेंस व स्थानीय व्यक्तियों के

सहयोग से एमबी हॉस्पीटल उदयपुर रवाना किये। मौके से फोटोग्राफी के बाद वाहनों को हटवाकर पलोदडा चौकी पर भिजवाया व अग्रिम कार्यवाही हेतु मय जाब्ता जनरल हॉस्पीटल उदयपुर पहुंचा। इस दुर्घटना में मृत हुए व्यक्तियों के शव मोर्चरी जनरल हॉस्पीटल उदयपुर में रखवाये गये थे तथा लाशों का पंचनामा मुर्तिब कर लाशों का पोस्टमार्टम करवाकर लाशों को उनके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया। उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अनेकों दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है जिनमें मुख्यतः फर्द पंचनामा लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन व एक्सरे रिपोर्ट है। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो उक्त गवाह द्वारा प्रदर्शित कराये गये हैं वह प्रदर्श पी78 (तहरीरी रिपोर्ट), प्रदर्श पी79 (चाक एफआईआर), प्रदर्श पी19 (फर्द घटनास्थल), प्रदर्श पी20 (फर्द जब्ती) है। जिरह के दौरान उक्त गवाह द्वारा यह कथन किया कि दुर्घटना उसके समक्ष नहीं हुई थी एवं वह दुर्घटना के पश्चात् पहुंचा था। घटना के अगले दिन उसके द्वारा बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 को वजह सबूत जब्त किया गया था। दोनों वाहनों के वाहन स्वामी कागजात लेकर थाने पर पेश हो गये थे। घटना स्थल निरीक्षण प्रार्थी की निशानदेही से नहीं हुआ था चूंकि प्रार्थी अस्पताल में ईलाजरत था एवं घटनास्थल चश्मदीद भेरा की निशानदेही से मुर्तिब किया गया था। अन्ततः गवाह द्वारा पूछे जाने पर इनकार किया गया था कि प्रदर्श पी40 का नोटिस वाहन स्वामी को डरा धमका के दिया गया हो एवं घटनास्थल पर वह नहीं गया तथा सभी गवाहों के बयान मनमर्जी से लिये हो। इस प्रकार उक्त गवाह के मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का यह मत है कि गवाह के द्वारा अभियोजन पक्ष के समर्थन में अभियुक्त की बस चालक के तौर पर पहचान के संबंध में एवं उसके द्वारा बस को लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्ट कथन नहीं किये गये है परंतु साथ ही उक्त गवाह द्वारा इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया गया है जो कि अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित होता हो। इसी प्रकार गवाह संख्या **पीडब्ल्यू 42** तथा **पीडब्लयू 44 व पीडब्ल्यू 45** औपचारिक गवाह है।

29. **पीडब्ल्यू 48** द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह जाहिर किया गया कि घटना के दिन वह उदयपुर से आशा बस में बैठकर आ रहा था एवं पलुणा मोड पर पलक बस व आशा बस में भिंडत हो गयी थी। बसों के नंबर उसे नहीं पता। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा जिरह करने पर उक्त गवाह द्वारा आशा बस व पलक बस के नंबरों की जानकारी होने से इनकार किया गया एवं आशा बस का चालक चतरलाल होने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गई किंतु गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि आशा बस के चालक द्वारा बस को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलुणा मोड पर पलक बस को टक्कर मार दी गई जिससे दुर्घटना हुई। यद्यपि

उक्त गवाह द्वारा आशा बस के चालक का अभियुक्त चतरलाल का होने से अनभिज्ञता अवश्य रूप से जाहिर की गई है किंतु उक्त गवाह द्वारा यह महत्वपूर्ण कथन किया गया है कि आशा बस के चालकर द्वारा बस को तेज गति व लापरवाही से चलाकर गलत साईड में आकर पलक बस को टक्कर मार दी गई। फलस्वरूप उक्त गवाह आशा बस के चालक की लापरवाही के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण गवाह है एवं जिसके उपरोक्त कथनों का अभियुक्त पक्ष द्वारा जिरह में किसी प्रकार का खंडन नहीं किया गया है।

30. **पीडब्ल्यू 51 दीपा भटनागर पिता प्रदीप भटनागर अभियोजन पक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह है।** उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया कि घटना के दिन वह पलक बस में यात्रा कर रही थी एवं जिस बस का नंबर आरजे 27 पीए 0845 था। उदयपुर की तरफ से आशा बस का चालक बस को लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ लेकर आया और उनकी बस को टक्कर मारी एवं जिस आशा बस का नंबर आरजे 27 पीए 2452 था। बस दुर्घटना से उसके हाथ की अंगुली को चोट आई एवं अन्य सवारियों को भी चोटें आईं एवं कुछ सवारियों की मृत्यु हो गयी। गवाह द्वारा जिरह के दौरान यह कथन किया गया कि घटना के बाद वह बेहोश नहीं हुई थी एवं ना ही दुर्घटना का उसे बाद में पता चला है। गवाह द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि गाडी के नंबर उसे किसी ने नहीं बताये व गाडी के नंबर उसे याद थे। गाडियों के नंबर इसलिए याद थे क्योंकि वह अमूमन इन्हीं बसों में आना-जाना करती थी। बयान लेखबद्ध होने की दिनांक को गवाह द्वारा आशा बस में आने का अभिकथन किया गया एवं उस दिन आशा बस का नंबर याद ना होना जाहिर किया गया। इस प्रकार से उपरोक्त गवाह द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में स्पष्ट रूप से पलक बस व आशा बस के नंबरों का विवरण दिया है जो कि अन्य प्रलेखीय साक्ष्य से मेल खाता है एवं उक्त गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से आशा बस चालक द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाया जाना जाहिर किया गया है। गवाह के इन कथनों का किसी प्रकार का खंडन गवाह की जिरह में नहीं हुआ है जिस कारण गवाह के उक्त कथन निर्भर किये जाने योग्य प्रतीत होते हैं।

31. **पीडब्ल्यू 55 तुलसी देवी पिता नारायण लाल अभियोजन पक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह है।** उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह जाहिर किया गया कि घटना के दिन वह पलक बस में यात्रा कर रही थी। उनकी बस पलुणा मोड पर पहुंची कि उदयपुर की तरफ से एक बस पलोदडा की तरफ जा रही थी जो सराडा, सेमारी चलने वाली आशा बस थी जिसकी टक्कर उसकी बस से हो गयी थी। उदयपुर से आने वाली बस का चालक बस को बहुत तेज गति से चलाता हुआ लेकर आ रहा था और उनकी बस को रोंग साईड में आकर टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से उसकी बाई जांघ व कुल्हे पर चोट आई थी व अन्य सवारियों के भी चोटें आई तथा दो-तीन सवारियों की मौके पर मौत

हो गयी थी। गवाह द्वारा आशा बस व पलक बस के नंबर याद नहीं होना जाहिर किया गया। *गवाह को कन्फर्न्ट किये जाने की अनुमति चाही गई जो कि न्यायालय द्वारा दी गई।* जिसके पश्चात् गवाह द्वारा पुलिस बयान प्रदर्श पी154 पर बसों के नंबर उसके द्वारा क्या बताये गये थे यह उसे लंबा समय होने के कारण याद ना होना जाहिर किया गया। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि आशा बस के ड्राईवर को उसने नहीं देखा था एवं आशा बस का चालक कौन था उसे नहीं पता। इस प्रकार से उपरोक्त गवाह द्वारा आशा बस के चालक के द्वारा लापरवाही से व तेज गति से आशा बस को चलाया जाना व रोंग साईड में आकर पलक बस को टक्कर मारने के कथन का जिरह के दौरान किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ है एवं ना ही गवाह की साक्ष्य के संबंध में कोई विरोधाभास है। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य पूर्ण रूप से गवाह संख्या पीडब्ल्यू 51 की साक्ष्य का समर्थन करती है एवं निर्भर किये जाने योग्य है।

32. **पीडब्ल्यू 57** श्रीमती नीना पत्नी मुकेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया कि वह उदयपुर से सराडा आशा बस में बैठकर आ रही थी एवं समय करीब 01.15 पीएम पर पलुणा मोड पर पहुंची थी कि सामने से पलक बस सलूम्बर की तरफ से आ रही थी एवं दोनों बसों की आपस में भिंडत हो गयी थी तथा भिंडत होते ही वह बेहोश हो गयी थी उसे दोनों बसों के नंबर नहीं पता है ना ही यह जानकारी है कि बसों को कौन चला रहा था। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह द्वारा पुनः बस के नंबर के संबंध में जानकारी ना होना जाहिर किया गया किंतु गवाह द्वारा एपीओ द्वारा की जा रही जिरह में यह महत्वपूर्ण कथन किया कि उसकी बस का चालक बस को तेज गति व लापरवाही से चला रहा था एवं बस जैसे ही पलुणा मोड पर पहुंची कि सामने से पलक बस को गलत साईड में जाकर टक्कर मार दी। अभियुक्त चतरलाल को जानने से गवाह द्वारा इनकार किया गया। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जिरह करने पर गवाह द्वारा कथन किया गया कि घटनास्थल पर विकट मोड था एवं घटनास्थल पर बहुत सारे खजुर व एक कंजडी का पेड था जिससे आने–जाने वाले वाहन नजर नहीं आते थे। वह टक्कर लगने के बाद बेहोश हो गयी थी। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य का गहनता से अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि गवाह घटना के दिन उदयपुर से आने वाली आशा बस में यात्रा कर रही थी जिसे बसों के नंबर याद नहीं है ना ही वह अभियुक्त को जानती थी किंतु गवाह द्वारा आशा बस के चालक के द्वारा वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाया जाकर गलत साईड में जाकर पलक बस को टक्कर मारने के स्पष्ट कथन किये हैं। जिरह के दौरान इस तथ्य का किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ है कि आशा बस के चालक द्वारा बस को तेज गति

व लापरवाही से ना चलाया जा रहा हो बल्कि घटनास्थल पर विकट मोड होना अन्य गवाहों द्वारा भी जाहिर किया गया है एवं विकट मोड होने पर वाहन को तेज गति से चलाया जाना ही लापरवाही दर्शाता है, चूंकि विकट मोडों का किसी भी वाहन चालक के द्वारा अत्यधिक सतर्कता का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 57 द्वारा आशा बस के चालक द्वारा बस को तेज गति, लापरवाही से चलाया जाना व पलक बस को रोंग साईड में आकर टक्कर मारने का जो कथन किया गया वही समान कथन **गवाह संख्या पीडब्ल्यू 55** द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में किया गया है।

33. **पीडब्ल्यू 60**, **पीडब्ल्यू 61 व पीडब्ल्यू 64** द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं को घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने के आधार पर अभिकथन किये गये हैं जिस कारण उपरोक्त गवाह की अनुश्रुत साक्षी होने के कारण ग्राह्य नहीं है।

34. **पीडब्ल्यू 62 भैरूलाल पिता अर्जुन जी अभियोजन पक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह है।** गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया है कि वह उदयपुर से आशा बस में बैठकर अपने गांव सर्सिया जा रहा था। पलुणा मोड पर पहुंची कि सामने से आ रही पलक बस से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट कैसे हुआ उसे नहीं पता, उसने केवल आवाज सुनी थी। गवाह द्वारा टक्कर लगने से उसके सिर, कमर व पैर पर चोटें आने का उल्लेख किया है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा जिरह किये जाने के दौरान उक्त गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि आशा बस का चालक बस को तेज गति व लापरवाही से नहीं चला रहा था एवं बस का चालक चतरा मीणा पाल सराडा वाला था। गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया कि वह अभियुक्त चतरलाल को पहचानता है। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि उसे बसों के नंबर याद नहीं है एवं दुर्घटना कैसे हुई उसे नहीं पता। उपरोक्त गवाह की साक्ष्य में गवाह द्वारा अवश्य रूप से यह जाहिर किया गया है कि आशा बस का चालक बस को तेज गति से नहीं चला रहा था किंतु इस संबंध में अनेकों अन्य गवाहान् द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि आशा बस का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही से चला रहा था। फलस्वरूप उक्त गवाह की साक्ष्य अभियोजन पक्ष के संबंध में घातक माना जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि वह अभियुक्त चतरलाल को पहचानता था एवं जिसको पाल सराडा का निवासी होने का अभिकथन गवाह द्वारा किया गया है जो कि पुलिस द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट में अभियुक्त के वर्णित पते से मेल खाता है। **इस प्रकार से घटना के दिन आशा बस का चालक अभियुक्त चतरलाल का होना उक्त गवाह द्वारा एवं गवाह संख्या पीडब्ल्यू 39 द्वारा स्पष्ट रूप से जाहिर किया गया एवं**

जिस तथ्य का किसी प्रकार का खंडन उपरोक्त गवाहान की जिरह में नहीं हुआ है।

35. **पीडब्ल्यू 63 नरेन्द्र कुमार पिता गिरधारीलाल हस्तगत प्रकरण के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह है एवं जो कि पलक बस का चालक (परिवादी) था।** गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह जाहिर किया गया कि वह पलक बस का चालक था जो सलूम्बर से उदयपुर चलती थी। घटना के दिन पलक बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 को सलूम्बर से उदयपुर लेकर रवाना हुआ एवं पलुणा मोड पर उदयपुर की तरफ से आशा बस का चालक बस को किसी गाडी को ओवरटेक करते हुए सामने से आ गया और उसकी गाडी को आगे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी बस की सवारियों व आशा बस की सवारियों को चोटे आईं व कुछ सवारियों की मौके पर मृत्यु हो गयी। आशा बस का चालक कौन था व नंबर क्या थे इसके संबंध में गवाह द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई। गवाह द्वारा जाहिर किया गया कि उसके द्वारा पुलिस थाना जावरमाईन्स पर रिपोर्ट पेश की गई थी जो कि **प्रदर्श पी 78** है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। एपीओ द्वारा जिरह के दौरान उक्त गवाह द्वारा यह स्वीकार किया गया कि दोपहर 01.15 बजे जैसे ही पलुणा मोड पर पहुंचा कि सामने उदयपुर की तरफ से बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 का चालक चतरा उसकी बस को तेज गति, गफलत व लापरवाहीपूर्वक चलाता हुआ रोंग साईड में लेकर आया जिस पर उसने उसकी बस को साईड में दबा दी फिर भी उसकी बस को टक्कर मार दी। अभियुक्त चतरलाल को घटना के वक्त नहीं पहचानता था। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा उक्त गवाह से जिरह करने पर गवाह द्वारा यह जाहिर किया गया कि प्रदर्श पी 78 उसके द्वारा नहीं लिखी गयी, किसने लिखी उसे नहीं पता एवं उक्त रिपोर्ट में क्या लिखा उसे जानकारी नहीं है। चतरलाल को आशा बस को चलाते हुए नहीं देखा था तथा आशा बस के नंबर उसे नहीं पता। घ टनास्थल पर विकट मोड होकर एक तरफ पीपल का पेड था जिसकी वजह से आने–जाने वाले वाहन नजर नहीं आते थे। उक्त गवाह की साक्ष्य का गहनता से परिशीलन किया गया जिससे प्रकट होता है कि गवाह पलक बस का चालक था। गवाह द्वारा आशा बस के नंबर एवं आशा बस के चालक के संबंध में विरोधाभासी कथन किये हैं जिस कारण इन दोनों तथ्यों पर गवाह की साक्ष्य पर निर्भर किया जाना न्यायोचित नहीं है **परंतु गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से आशा बस के चालक द्वारा बस को तेज गति व लापरवाही से चलाया जाना एवं रोंग साईड में लाकर टक्कर मार देना जाहिर किया गया है जिस तथ्य का किसी प्रकार का खंडन एपीओ द्वारा की गई जिरह एवं अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में नहीं हुआ है।** गवाह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 78 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं किंतु किसके द्वारा लिखी गयी इस तथ्य से

अनभिज्ञता जाहिर की गई है। ऐसे में न्यायालय का यह मत है कि सर्वप्रथम उक्त गवाह (पलक बस का चालक) जो कि स्वयं भी घटना के पश्चात् घायल हुआ था, जिसने अपने अन्य चोटों सहित सिर में भी चोट आने का कथन किया है जिस कारण इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि गवाह द्वारा प्रदर्श पी 78 पर उसे बिना पढकर हस्ताक्षर किये गये हो। इसके अतिरिक्त चूंकि हस्तगत प्रकरण में अन्य व्यक्तियों को भी चोटें कारित हुई हैं व कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिस कारण प्रदर्श पी 78 के संबंध में उक्त गवाह द्वारा जाहिर की गई अनभिज्ञता को अभियोजन पक्ष के लिए पूर्णतया घातक माना जाना न्यायोचित नहीं है। जहां तक घटनास्थल पर विकट मोड़ होने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय द्वारा अपना मत गवाह संख्या पीडब्ल्यू 57 की साक्ष्य की व्याख्या करते हुए वर्णित किया जा चुका है जिसका पुनः उल्लेख करना न्यायालय आवश्यक नहीं समझता है।

36. न्यायालय के समक्ष **गवाह संख्या पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 7, पीडब्ल्यू 9, पीडब्ल्यू 24, पीडब्ल्यू 25, पीडब्ल्यू 27, पीडब्ल्यू 30, पीडब्ल्यू 37, पीडब्ल्यू 56, पीडब्ल्यू 58 एवं पीडब्ल्यू 65** द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त पर आक्षेपित अपराधों के संबंध में गवाहान् द्वारा किसी प्रकार का सुसंगत कथन नहीं किया गया है।

37. गवाह संख्या **पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 10 लगायत पीडब्ल्यू 15, पीडब्ल्यू 21, पीडब्ल्यू 22, पीडब्ल्यू 36, पीडब्ल्यू 40, पीडब्ल्यू 43, पीडब्ल्यू 47, पीडब्ल्यू 49, पीडब्ल्यू 50, पीडब्ल्यू 52, पीडब्ल्यू 53, पीडब्ल्यू 54 व पीडब्ल्यू 59** उक्त गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने का निवेदन किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था। न्यायालय के मत में उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास होने के कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

38. उपरोक्तानुसार मौखिक साक्ष्य पर अपना मत व्यक्त करने के पश्चात् न्यायालय प्रलेखीय साक्ष्य का विवेचन करना आवश्यक समझता है।

पत्रावली पर मौजूद अधिकांश प्रलेखीय साक्ष्य मुख्यतः गवाहान के चोट प्रतिवेदन, एक्सरे रिपोर्ट, पुलिस बयान व मृतक व्यक्तियों से संबंधित मेडिकल दस्तावेज है। अन्य महत्वपूर्ण प्रलेखीय साक्ष्य निम्न प्रकार से हैं–

प्रदर्श पी19	अपराध विवरण प्रपत्र/फर्द घटनास्थल
प्रदर्श पी20	फर्द जब्ती वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452
प्रदर्श पी21	फर्द डेमेज/डिटेन वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845

प्रदर्श पी40	वाहन स्वामी को जारी धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस
प्रदर्श पी78	परिवादी नरेन्द्र कुमार की तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी79	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी80	चोट प्रतिवेदन अभियुक्त चतरलाल
प्रदर्श पी144	बसों की मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

39. सर्वप्रथम यह न्यायालय **प्रदर्श पी19 अपराध विवरण प्रपत्र/फर्द घटनास्थल** के संबंध में अपना मत व्यक्त करना आवश्यक समझता है। उक्त दस्तावेज पर गवाह संख्या पीडब्ल्यू 16 दीपक कुमार व पीडब्ल्यू 17 बाबुलाल एवं पीडब्ल्यू 41 लीलाधार मालवीय (अनुसंधान अधिकारी) के हस्ताक्षर मौजूद है। यह दस्तावेज दिनांक 11.09.2012 समय 01.50 पीएम पर गठित किया जाना दस्तावेज में वर्णित है। गवाह पीडब्ल्यू 16 की मौखिक साक्ष्य की व्याख्या न्यायालय पुनः किया जाना आवश्यक नहीं समझता है एवं गवाह की साक्ष्य में किसी प्रकार का परस्पर विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता है जिससे कि उसकी साक्ष्य पर संदेह किया जाए। जहां तक गवाह द्वारा घटनास्थल दिनांक 10.09.2012 को तैयार किये जाने का कथन किया गया है जबकि फर्द घटनास्थल पर दिनांक 11.09.2012 वर्णित है तो इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि गवाह की साक्ष्य घटना के करीबन 11 वर्ष पश्चात् लेखबद्ध की गई है एवं ऐसे में याददाश्त के धूमिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू 41 द्वारा जिरह में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि घटनास्थल का निरीक्षण एक दिन बाद किया था, जो कि दस्तावेज पर वर्णित दिनांक की ताईद करता है। गवाह संख्या पीडब्ल्यू 17 द्वारा मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि पुलिस ने मौके पर आकर उसके समक्ष घटनास्थल बनाकर उसके हस्ताक्षर कराये थे किंतु जिरह के दौरान यह कथन किया है कि प्रदर्श पी19 पर उसके हस्ताक्षर चौकी पर बुलाकर कराये गये थे। उपरोक्त गवाह की मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास है किंतु गवाह संख्या पीडब्ल्यू 16 व पीडब्ल्यू 41 की साक्ष्य में समानता

को देखते हुए मात्र गवाह संख्या पीडब्ल्यू 17 के कथनों के आधार पर यह न्यायालय प्रदर्श पी19 पर संदेह उत्पन्न करना न्यायोचित नहीं समझता है एवं दस्तावेज को प्रमाणकारी दस्तावेज की श्रेणी में माना जाना न्यायोचित है। उक्त दस्तावेज में जो घ टनास्थल का नक्शा तैयार किया गया है उसमें बिंदु A स्थान पर दुर्घटना होना वर्णित किया गया है जो कि उदयपुर व सलूम्बर को आने–जाने वाला स्टेट हाईवे नंबर 32 का पलुणा मोड़ है। नक्शे में A1 दिशा की ओर से (उदयपुर की तरफ से) बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 का आना व A2 दिशा की ओर से (सलूम्बर की तरफ से) बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 का आना दर्शाया गया है। इस प्रकार मौखिक साक्ष्य में गवाहान द्वारा किये गये कथनों व प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना के स्थान पर एक विकट मोड़ मौजूद है एवं सलूम्बर से उदयपुर जाने वाली बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 रोड के सही दिशा में जाना दर्शित होती है व उदयपुर से सलूम्बर की ओर आने वाली बस नंबर आरजे 27 पीए 2452 का रोड की रोंग साईड में आकर सामने से आ रही बस को टक्कर मारा जाना स्पष्ट रूप से जाहिर होता है।

40. **प्रदर्श पी20** संपत्ति अग्रेहण प्रपत्र है जिस पर यह वर्णित किया गया है कि मौके से दिनांक 10.09.2012 को सुरक्षा की दृष्टि से बस को पलोदड़ा परिसर चौकी में लाकर खड़ा किया गया था व जो कि मामले में दुर्घटना कारित करने वाला वाहन होने से वजह सबूत जब्त किया गया। दस्तावेज के पुष्ट पर वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 वर्णित है। इसी क्रम में **प्रदर्श पी21** फर्द डेमेज/डिटेन बस नंबर आरजे 27 पीए 0845 है जिसमें इस बस का पहचान किये जाने योग्य पर्याप्त विवरण दिया गया है। यह दोनों दस्तावेज भी गवाह संख्या पीडब्ल्यू 16 दीपक कुमार व गवाह संख्या पीडब्ल्यू 41 अनुसंधान अधिकारी की उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित माने जाते हैं।

41. **प्रदर्श पी78** परिवादी नरेन्द्र कुमार (गवाह संख्या पीडब्ल्यू 63) की ओर से थानाधिकारी पुलिस थाना जावरमाईन्स को प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट है। न्यायालय के समक्ष उक्त गवाह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट पर स्पष्ट रूप से ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये गये हैं। गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अवश्य रूप से यह जाहिर किया गया है कि तहरीरी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गयी इसकी उसे जानकारी नहीं है ना ही उसे यह जानकारी है कि उस पर क्या लिखा है। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि जिरह के दौरान गवाह द्वारा यह वर्णित नहीं

किया गया है कि घटना के पश्चात् उसके द्वारा हस्ताक्षर उक्त दस्तावेज पर ना किया गया हो एवं उक्त गवाह द्वारा स्वयं के सिर में चोट आने का भी वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण पत्रावली पर अभियुक्त पक्ष की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि दुर्घटना कारित ना हुई हो अर्थात् अभियुक्त ने ऐसी कोई प्रतिरक्षा दर्शित नहीं की है कि प्रकरण में कारित दुर्घटना ना हुई हो क्योकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम का खंडन करना अभियुक्त का दायित्व होता है। उक्त दस्तावेज में जिस दिनांक, समय व स्थान पर जिन बसों के मध्य दुर्घटना कारित होने का उल्लेख किया गया है उसके संबंध में पत्रावली पर पर्याप्त मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसे में न्यायालय परिवादी के मात्र इस कथन को अभियोजन पक्ष के संबंध में घातक माना जाना न्यायोचित नहीं समझता है कि परिवादी घटना के करीबन 13 वर्ष पश्चात् यह नहीं जानता कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी78 में क्या लिखा गया था। उक्त दस्तावेज के आधार पर ही पुलिस थाना जावरमाईन्स द्वारा हस्तगत प्रकरण एफआईआर संख्या 102/2012 **प्रदर्श पी79** को दर्ज फरमाया जाना दर्शित होता है एवं जिसको दुर्घटना की दिनांक 10.09.2012 को ही दर्ज किया गया है। न्यायालय के समक्ष उक्त प्रलेखीय साक्ष्य पर संदेह करने का कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं है।

42. पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज **प्रदर्श पी80** अभियुक्त का स्वयं का चोट प्रतिवेदन है जो कि दिनांक 10.09.2012 का ही है एवं जिस दस्तावेज को अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त भी दिनांक 10.09.2012 की दुर्घटना में अन्य आहतगणों में शामिल था किंतु अभियुक्त पक्ष की ओर से उसकी उक्त दुर्घटना में उसकी अनुपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करायी गयी है।

43. इसके अतिरिक्त **प्रदर्श पी144** दुर्घटना की दोनों बसों (वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845 व वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452) की मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट है जिस पर दिनांक 14.09.2012 उल्लेखित है एवं अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है जिसका अवलोकन करने से यह दर्शित होता है कि उपरोक्त दोनों बसों के मध्य दुर्घटना कारित हुई है। उक्त दस्तावेज में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है कि वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 में दुर्घटना से पूर्व ही किसी प्रकार का मेकेनिकल डिफेक्ट रहा हो। उक्त दस्तावेज का किसी प्रकार का खंडन अभियुक्त पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया है।

44. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के संबंध में अपना मत व्यक्त किया जा चुका है एवं इस स्तर पर यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही गवाहान की साक्ष्य के संबंध में पारित निम्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख करना आवश्यक समझता है चूंकि हस्तगत प्रकरण में अधिकांश गवाहान को पक्षद्रोही घोषित किया गया है–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Radha Mohan Singh / Lal Sahed & Ors. versus State of U.P. [2006 AIR (SC) 951]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

It is well settled that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross-examined him. The evidence of such witness cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent his version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof.

45. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Sattar Vs State of Rajasthan [2013 Supreme (Raj) 402]** में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

18. The Supreme Court in Prithi supra, held that even if a witness is declared hostile and is allowed to be cross-examined by the Public Prosecutor with the permission of court, his evidence remains admissible and there is no legal bar to record a conviction upon his testimony, if corroborated by other reliable evidence. In Akhtar supra, it was held by the Supreme Court that evidence of hostile witnesses can be relied upon to corroborate date, time and place of occurrence. In Jodhraj Singh supra, it was held by the Supreme Court that only because a witness, for one reason or the other, has to some extent, resiled from his earlier statement, that by itself may not be sufficient to discard the prosecution case in its entirety. Keeping in view the materials available on record, it is permissible for a court of law to rely upon a part of the testimony of the witness who has been declared hostile.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि यद्यपि हस्तगत प्रकरण में अधिकांश गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है किंतु उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार एक पक्षद्रोही गवाह की साक्ष्य को पूर्णतः सिरे से नकारा जाना न्यायसंगत नहीं है बल्कि इस प्रकार के गवाह की साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया जाना आवश्यक है एवं पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए न्यायालय एक पक्षद्रोही गवाह की साक्ष्य पर निर्भर कर

सकता है।

46. इसके अतिरिक्त यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Ramesh Harijan vs State of UP [2012 AIR(SC) 1965]** का उल्लेख करना आवश्यक समझता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है–

23. A similar view has been re-iterated in Appabhai & Anr. v. State of Gujarat, AIR 1988 SC 696, wherein this Court has cautioned the courts below not to give undue importance to minor discrepancies which do not shake the basic version of the prosecution case. The court by calling into aid its vast experience of men and matters in different cases must evaluate the entire material on record by excluding the exaggerated version given by any witness for the reason that witnesses now-a- days go on adding embellishments to their version perhaps for the fear of their testimony being rejected by the court. However, the courts should not disbelieve the evidence of such witnesses altogether if they are otherwise trustworthy.

24. In Sucha Singh v. State of Punjab, AIR 2003 SC 3617, this Court had taken note of its various earlier judgments and held that even if major portion of the evidence is found to be deficient, in case residue is sufficient to prove guilt of an accused, it is the duty of the court to separate grain from chaff. Falsity of particular material witness or material particular would not ruin it from the beginning to end. The maxim falsus in uno falsus in omnibus has no application in India and the witness cannot be branded as a liar. In case this maxim is applied in all the cases it is to be feared that administration of criminal justice would come to a dead stop. Witnesses just cannot help in giving embroidery to a story, however, true in the main. Therefore, it has to be appraised in each case as to what extent the evidence is worthy of credence, and merely because in some respects the court considers the same to be insufficient or unworthy of reliance, it does not necessarily follow as a matter of law that it must be disregarded in all respects as well.

47. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि किसी गवाह की मौखिक साक्ष्य में उत्पन्न होने वाली छोटी विसंगति के आधार पर उस गवाह की संपूर्ण साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न किया जाना न्यायोचित नहीं है बल्कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय गवाह की साक्ष्य के उस भाग को जो निर्भर किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है को

उस भाग से अलग करे जो कि विश्वसनीय है। गवाह के किसी एक गलत कथन के आधार पर उसकी संपूर्ण साक्ष्य को गलत माना जाना न्यायसंगत नहीं है। इसी प्रकार से जहां तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित गवाहान द्वारा पत्रावली पर मौजूद पुलिस बयानों के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है अथवा विरोधाभास प्रकट किया गया है, तो इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि पत्रावली पर मौजूद अन्य संपोषक साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय गवाहान के न्यायालय के समक्ष सशपथ किये गये अभिकथनों को अविश्वसनीय माना जाना न्यायोचित नहीं समझता है।

फलस्वरूप हस्तगत प्रकरण में पक्षद्रोही गवाहों की साक्ष्य का न्यायालय द्वारा गहनता से अवलोकन किया गया एवं ऐसे गवाहों के वह कथन जिनका विद्वान अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में किसी प्रकार का खंडन नहीं हुआ है एवं जिनकी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास नहीं पाया गया है, उनकी साक्ष्य को न्यायालय द्वारा ग्राह्य मानते हुए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में उन पर निर्भर किया जाना न्यायसंगत पाया गया है।

न्यायालय का निष्कर्षः—

48. समस्त साक्ष्य सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् यह न्यायालय उपरोक्तानुसार कायम किये गये विचारणीय बिंदुओं का उल्लेख कर उनके संबंध में अपना निष्कर्ष पारित करता है—

(क) क्या दिनांक 10.09.2012 को लगभग 01.00 बजे दोपहर के समय सलूम्बर से उदयपुर जाने वाले मार्ग में पलुणा मोड़ पर उदयपुर से आने वाली आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 एवं सलूम्बर से उदयपुर जाने वाली पलक बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845 की आपस में टक्कर कारित हुई?

इस बिंदु के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह संख्या पीडब्ल्यू 4, पीडब्ल्यू 16, पीडब्ल्यू 19, पीडब्ल्यू 20, पीडब्ल्यू 23, पीडब्ल्यू 32, पीडब्ल्यू 34, पीडब्ल्यू 46, पीडब्ल्यू 51, पीडब्ल्यू 55 एवं पीडब्ल्यू 63 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख किये गये हैं जिनकी मौखिक साक्ष्य को प्रदर्श पी19, प्रदर्श पी20, प्रदर्श पी21 व प्रदर्श पी144 से बल प्राप्त होता है एवं जिस साक्ष्य से यह बिंदु संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

(ख) क्या उक्त दिनांक व समय पर उदयपुर से सलूम्बर को आने वाली आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 का चालक अभियुक्त चतरलाल था?

इस संबंध में यह न्यायालय सर्वप्रथम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **Sangram Singh Versus State of Rajasthan [1990 0 Supreme (Raj.) 64]** का उल्लेख करना आवश्यक समझता है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

For conviction in case of motor vehicles accident it is essential to prove that at the time of accident the accused was driving the vehicle, then only the question of rash & negligence arises.

इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया जा चुका है कि वाहन दुर्घटना के प्रकरणों में सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त द्वारा ही चलाया जा रहा था। इस सिद्धांत की पालना में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया जिसके पश्चात् न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त द्वारा ही दुर्घटना के दिन चलाया जाना गवाह **पीडब्ल्यू 39 एवं पीडब्ल्यू 62** की साक्ष्य से साबित होता है।

प्रदर्श पी0 80 अभियुक्त का स्वयं का चोट प्रतिवेदन है जो कि दिनांक 10.09.2012 का ही है एवं ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक था कि अभियुक्त पक्ष न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करे की उक्त दुर्घटना में अभियुक्त को किस प्रकार से चोट कारित हुई एवं वह दुर्घटना में किस प्रकार से संलिप्त था। अभियुक्त पक्ष की ओर से इन तथ्यों पर किसी प्रकार का बचाव पेश नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह न्यायालय इस स्तर पर **धारा 134 भा0 साक्ष्य अधि0 1872** का उल्लेख करना आवश्यक समझता है जो कि इस प्रकार से है –

किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

उपरोक्त प्रावधान के संबंध में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **दयाराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य [2003 Supreme (Raj) 608]** में यह निर्धारित किया गया है कि Evidence must be weighed and not counted.' फलस्वरूप उपरोक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि यद्यपि दो गवाहन द्वारा ही दुर्घटना के दिन अभियुक्त चतरलाल को आशा बस का चालक होना जाहिर किया है, किंतु चूंकि उक्त गवाहन के द्वारा अभिकथित इस तथ्य का किसी प्रकार का युक्तियुक्त खंडन अभियुक्त पक्ष द्वारा नहीं किया गया है जिस कारण न्यायायल इस तथ्य को प्रमाणित मानता है।

अतः अभियोजन पक्ष उक्त विचारणीय बिंदु साबित करने में सफल रहा है एवं यह बिन्दु अभियुक्त चतरलाल के विरूद्ध तय किया जाता है।

(ग) क्या अभियुक्त द्वारा उक्त दिनांक व समय पर आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 को पलुणा मोड़ पर तेज गति, गफलत, उपेक्षा व लापरवाही से चलाया जाकर व बस को रोंग साईड में ले जाकर पलक बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845 को सामने से टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई?

उपरोक्त विचारणीय बिंदु को न्यायालय के समक्ष अपनी मौखिक साक्ष्य से गवाह पी0डब्लु 23, पी0डब्लु 28, पी0डब्लु 48, पी0डब्लु 51, पी0डब्लु 55, पी0डब्लु 57, एवं पी0डब्लु 63 द्वारा संदेह से परे साबित किया गया है एवं उपरोक्त गवाहन में से कुल 5 गवाहन द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किये गये हैं कि अभियुक्त चतरलाल द्वारा पलक बस को सड़क के रॉग साइड में आकर टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई है। पत्रावली पर मौजूद प्र0पी0 19 के संबंध में विस्तृत विवेचन न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष से पूर्व में दिया जा चुका है, जिसकी पुनरावृत्ति करना न्यायायल आवश्यक नहीं समझता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अनेक गवाहन के साक्ष्य से व प्र0पी0 19 से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल पर विकट मोड़ था एवं विकट मोड़ पर वाहन को तेज गति से चलाना स्वयं ही अभियुक्त की पर्याप्त लापरवाही दर्शाता है बल्कि साथ ही उसके द्वारा पलक बस को सड़क के रॉग साइड में आकर टक्कर मारी गई है।

अतः अभियोजन पक्ष उक्त विचारणीय बिंदु संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है एवं यह बिन्दु अभियुक्त चतरलाल के विरूद्ध तय किया जाता है।

(घ) क्या आशा बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 2452 के चालक अभियुक्त द्वारा पलक बस वाहन संख्या आरजे 27 पीए 0845 को मारी गयी टक्कर के परिणामस्वरूप कारित दुर्घटना से दोनों बसों की सवारियों को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुईं तथा उनका जीवन संकटापित हुआ?

उपरोक्त बिंदु के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि ना सिर्फ गवाह संख्या पी. डब्लु 4, पी.डब्लु 19, पी.डब्लु 20, पी.डब्लु 23, पी.डब्लु 32, व पी.डब्लु 34 द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में स्वयं के दुर्घटना से उपहथियां कारित होने के स्पष्ट कथन किये है बल्कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित अन्य अनेकों गवाहों द्वारा स्वयं के उपहथियां कारित होना जाहिर किया गया है।

पत्रावली पर अनेक गवाहन के चोट प्रतिवेदन / एक्स रे रिपोर्ट मौजूद है जिनमें आहतगण के साधारण व गंभीर उपहथियां कारित होना स्पष्ट रूप से दर्शित होता है, एवं जिनमें से कुछ का उल्लेख न्यायायल द्वारा निम्न रूप से किया जा रहा है, :–

साधारण उपहथियां

प्रदर्श पी0 13
प्रदर्श पी0 24
प्रदर्श पी0 32
प्रदर्श पी0 35
प्रदर्श पी0 82
प्रदर्श पी0 96
प्रदर्श पी0 97
प्रदर्श पी0 99
प्रदर्श पी0 100
प्रदर्श पी0 101

गंभीर उपहथियां
प्रदर्श पी0 45
प्रदर्श पी0 120
प्रदर्श पी0 121
प्रदर्श पी0 124
प्रदर्श पी0 131

हस्तगत प्रकरण में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर मौजूद चोट प्रतिवेदन, एक्सरे रिपोर्ट व मृतक व्यक्तियों के मेडिकल दस्तावेजात को स्वीकार कर लिया गया था एवं जिस कारण अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह सूची में गवाह संख्या 114 लगायत 128 (चिकित्सकों की सूची) को तर्क फरमा दिया गया था एवं न्यायालय द्वारा उन्हें तलब नहीं किया गया था।

फलस्वरूप पत्रावली पर मौजूद मौखिक व प्रलेखिय साक्ष्य से उपरोक्त विचारणीय बिंदु अभियोजन पक्ष द्वारा निस्संदेह अभियुक्त के विरूद्ध साबित किया गया है। अतः यह बिंदु भी अभियुक्त के विरूद्ध तय किया जाता है।

(ङ) क्या उपरोक्त वर्णित दुर्घटना से आरोप पत्र में वर्णितानुसार आठ सवारियों की उपेक्षापूर्वक मृत्यु कारित हुई?

इस बिंदु के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट में कुल 8 व्यक्तियों की मृत्यु कारित होने का उल्लेख किया गया था एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित अनेकों गवाहों ने अपने मौखिक साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई है। पत्रावली पर इस संबंध में मौजूद प्रलेखिय साक्ष्य निम्न प्रकार से हैः—

मृतक व्यक्तियों से संबंधित मेडिकल दस्तावेज	
मृतका साधना शर्मा	प्रदर्श पी 61, प्रदर्श पी 67, प्रदर्श पी 72
मृतक पुना	प्रदर्श पी 1, प्रदर्श पी 2, प्रदर्श पी 75
मृतक हरिश	प्रदर्श पी 64, प्रदर्श पी 65, प्रदर्श पी 75, प्रदर्श पी 69
मृतक छगनलाल	प्रदर्श पी 57, प्रदर्श पी 58, प्रदर्श पी 74
मृतका अंगुडी बाई	प्रदर्श पी 60, प्रदर्श पी 71, प्रदर्श पी 73
मृतका कंकु	प्रदर्श पी 69, प्रदर्श पी 76
मृतका अमीना	प्रदर्श पी 62, प्रदर्श पी 66, प्रदर्श पी 68
मृतक शिवराम	प्रदर्श पी 63, प्रदर्श पी 70, प्रदर्श पी 77

न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रलेखिय साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित हुआ कि प्र0पी0 72 (मृतका साधना शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट), प्र0पी0 73 (मृतका अंगुडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट), प्र0पी0 74 (मृतक छगनलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट), प्र0पी0 75 (मृतक हरिश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट), प्र0पी0 75 (मृतक पुना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट), प्र0पी0 76 (मृतका कंकु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट), प्र0पी0 77 (मृतक शिवराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट) के अंतिम भाग पर मेडिकल ओपिनियन में मृत्यु का कारण Head injury/ other injury sufficient to cause death उल्लेखित किया गया है। इन सभी दस्तावेजात को अभियुक्त पक्ष द्वारा स्वीकार किया जा चुका है एवं सभी दस्तावेज दुर्घटना की दिनांक 10.09.2012 को ही गठित किये गये हैं। फलस्वरूप न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट है कि दिनांक 10.09.2012 को हुई दुर्घटना के कारण ही उपरोक्त व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई है।

49. इस प्रकार से पत्रावली पर मौजूद मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त चतरलाल द्वारा आशा बस को तेज गति व लापरवाही से चलाया गया तथा पलक बस को सड़क के रोंग साईड में जाकर सामने से टक्कर मारी गई थी जिसके

परिणामस्वरूप ही अनेक व्यक्तियों को साधारण व गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

50. अंततः न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त चतरलाल के विरूद्ध उपरोक्त सभी विचारणीय बिंदु संदेह से परे प्रमाणित होते हैं।

::आदेश::

51. परिणामतः अभियुक्त चतरलाल पिता डुंगर उर्फ दुर्गा, उम्र 35 वर्ष (वर्तमान उम्र 48 वर्ष), निवासी पाल सराडा, पीएस सराडा, सलूम्बर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 एवं 304ए भा0दं0सं0 के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

52. अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान नियमित उपस्थिति बाबत् पेश किये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(सौम्य कुमार सिंह)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
सराडा, जिला सलूम्बर

53. दंड के बिंदु पर उभय पक्षों को सुना गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि चूंकि अभियुक्त की लापरवाही के कारण 08 व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई है एवं अनेक व्यक्ति घायल हुए हैं, जिस कारण अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अधिकतम कारावास की सजा दी जावे।

इसके खंडन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय से यह निवेदन किया गया कि अभियुक्त 48 वर्ष का एक गरीब व्यक्ति है जिसके द्वारा अपने परिवार का भरण—पोषण किया जा रहा है एवं अभियुक्त करीबन 14 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है, जिस कारण न्यायालय से निवेदन है कि अभियुक्त पर न्यूनतम सजा देते हुए अधिरोपित करते हुए परीविक्षा का लाभ दिया जावे।

54. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त की घोर लापरवाही के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु कारित हुई है एवं अनेक व्यक्ति घायल हुए हैं। साथ ही अभियुक्त पर अधिरोपित सभी अपराध न्यायालय के समक्ष संदेह से परे प्रमाणित हुए हैं जिस कारण अभियुक्त पर कारवास एवं अर्थदण्ड की सजा अधिरोपित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित प्रतीत होता

है।

55. इसके अतिरिक्त यह न्यायालय यह भी उल्लेख करना आवश्यक समझता है कि चूंकि अभियुक्त की घोर लापरवाही के कारण एक हृदय विदारक दुर्घटना कारित हुई है एवं उक्त दुर्घटना के कारण ही व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं धारा 304ए भा0द0सं0 का अपराध अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित हुआ है, जिस कारण यह न्यायालय अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान करना न्यायसंगत नहीं पाता है।

::दण्डादेश::

56. परिणामतः अभियुक्त चतरलाल पिता डुंगर उर्फ दुर्गा, उम्र 35 वर्ष (वर्तमान उम्र 48 वर्ष), निवासी पाल सराडा, पीएस सराडा, सलूम्बर को निम्नानुसार दंडित किया जाता है–

धारा	सजा (साधारण कारावास)	आर्थिक दंड	अदम अदायगी की सूरत में दण्ड (साधारण कारावास)
धारा 304ए भादसं.	02 वर्ष	1,000/– रूपये	01 माह
धारा 338 भादसं.	01 वर्ष	1,000/– रूपये	01 माह
धारा 337 भादसं.	03 माह	500/– रूपये	01 माह
धारा 279 भादसं.	03 माह	500/– रूपये	01 माह

57. उक्त कारावास की सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त का सजा वारंट नियमानुसार मुर्तिब हो।

58. उक्त अपराधों के लिए यदि अभियुक्त चतरलाल द्वारा इस प्रकरण में कोई अवधि दौराने अन्वेषण, जांच एवं विचारण पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की है तो वह अवधि उनकी मूल सजा में समायोजित कर दी जावे।

59. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सं. आरजे 27 पीए 2452 को सुपुर्दगी पर रिलीज किया गया है। अतः इस संबंध में सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील निरस्त समझे जाए।

60. अभियुक्त को अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 20,000/– रूपये की राशि के जमानत मुचलके पेश करने हेतु आदेशित किया गया था, जो कि उसके द्वारा पेश किये जा चुके हैं एवं जो बाद जांच तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये हैं।

61. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जावे।

62. प्रकरण का माल वजह सबूत बाद मियाद अपील/रिवीजन ना होने की सूरत में या अपील/रिवीजन होने की स्थिति में उसके निर्णय के अध्यधीन निस्तारित हो अथवा नष्ट हो।

(सौम्य कुमार सिंह)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
सराडा, जिला सलूम्बर

63. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 01.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सौम्य कुमार सिंह)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
सराडा, जिला सलूम्बर